

भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग

5वां तल, सरदार पटेल भवन,
संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

दिनांक : 11 अक्टूबर, 2018

कार्यालय ज्ञापन

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुच्छेद 4 के अंतर्गत सक्रिय प्रकटीकरण दिशा-निर्देश की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए नोडल अधिकारी का नामांकन।

अधोहस्ताक्षरी को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 9 जुलाई, 2015 की पत्र सं. 1/1/2013-आईआर का संदर्भ देने और यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में श्री वी.शशांक शेखर, संयुक्त सचिव को सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई) के अनुच्छेद 4 के अंतर्गत सक्रिय प्रकटीकरण दिशा-निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए नोडल अधिकारी नामित किया गया है। नोडल अधिकारी का विवरण इस प्रकार है :-

श्री वी.शशांक शेखर, संयुक्त सचिव

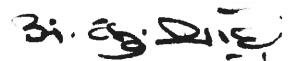
संयुक्त सचिव

टेली : 011-23360208

फैक्स : 011-23360352

ईमेल : v.shashank@nic.in

2. सचिव, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के अनुमोदन से जारी।



(अजीत कुमार साह)

सीपीआईओ एवं अवर सचिव, भारत सरकार

फोन : 23401441

ईमेल : as.sah@nic.in

केन्द्रीय सूचना आयुक्त

(ध्यानार्थ : श्री पीयूष अग्रवाल, रजिस्ट्रार),

सीआईसी, भवन,

बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनीरका

नई दिल्ली - 110067

प्रति :

1. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, आरटीआई प्रकोष्ठ, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली - 110001
2. श्री वी. शशांक शेखर, संयुक्त सचिव (प्र.सु. और लो.शि.)
3. सभी अपीलीय प्राधिकारीगण, प्र.सु. और लो.शि.वि.
4. सभी सीपीआईओ, प्र.सु. और लो.शि.वि.